Jain Vishva Bharati Institue, Ladnun- 341306

Grievance Redressel Cell

A meeting of Grievance Redrassel Cell is held on 30.03.2018 at the Chamber of HoD, Dept. of Education. Following Members were presented.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01.	HoD, Jainology and Comparative Religion & Philosophy	Member	
02.	HoD, Prakrit and Sanskrit	Member	
03.	HoD, Science of Living	Member	
04.	HoD, English	Member	
05.	HoD, Social Work	Member	
06.	HoD, Non-violence	Member	
07.	HoD, Education	Member	
08.	Principal, AKKM	Member	
09.	Dr. P.S. Shekhawat	Member	Ab
10.	Prof. B.L. Jain	Coordinator	
12.	Registrar Special Invitee		

Minutes

A meeting of Grievance Redressal Cell was held on 30.03.2019 at the Chamber of HoD, Dept. of Education. Following points were discussed in the meeting.

1. Members of the cell were informed about the present status and function of the cell by the Coordinator.

2. Complaint boxes of various places were open and not found any complaint up to today.

3. Online portal of the institute was checked and not found any complaint.

4. Decision has been taken by the members that student complaint boxes are to be opened on interval of every 15 days and review accordingly.

5. Future plan of the cell was discussed and a tentative plan has drawn for the new academic session.

6. A New board having the latest information of the members of various cells may be placed at student entrance point.

7. Five Year Report of Grievance Redressal Cell (2014-15 to 2018-19) was presented and approved by the members of the cell.

Meeting was ended with the vote of thanks to the Chair.

B.L. Jain

(**Prof. B.L. Jain**)
Coordinator, Grievance Redressal Cell

Five Year Report of Grievance Redressal Cell

2014-15

New formation of Grievance Redressal Cell was done. Regulation of Grievance Redressal Cell was delivered to all the departments and all the information and guidelines received from Heigher Education concerned to Grievance Redressal Cell demonstrated to the students (Regular & Distance) . Meetings of the Cell were conducted in time-to-time and agendas discussed and action taken accordingly.

No Grievances were received during the session from students.

2015-16

Reformed the Grievance Redressal Cell for the current academic session. Rules & regulation of Grievance Redressal Cell were circulated among the students in assembly hall. Group of students (Regular & Distance) were called for the personal interaction and guide them about how to make the complaint. Members of Students representative of the cell were guide to obtain latest guidelines on the internet in the Gazette of HEI website and inform the cell accordingly. Meeting called time to time and actions were taken place accordingly. No major complaints were registered in student complaint box or personally.

2016-17

Formed the Grievance Redressal Cell for the current academic session. Role and the function of the cell was described to the students (Regular & Distance). Students were suggested make the relevant complaint to the cell and even they may drop the complaint in the student complaint box fixed at various places. Meetings of the cell were called time to time by the coordinator. No complaint was found during the session.

2017-18

Grievance Redressal Cell formed was formed for the current academic session, regulation of the cell was circulated in all the departments and students

(Regular & Distance) were notified. Student's complaint boxes were opened periodically minor complaints resolved on spot. Students demand the bus for the academic tour the same was provided immediately by the administration. Meetings were called by the Cell Coordinator time to time and discussed the meeting agenda and prepared the minutes of the meeting and accordingly the actions had taken.

2018-19

Members for the Grievance Redressal Cell were selected and formed the cell, information circulated among the students (Regular & Distance). Meetings of the cell were called in time-to-time. There is a complaint found in student box of AKKM about the non availability of water in water cooler the problem solved immediately at the department level. Thereafter no complaint was received in the entire session. Mobile number of the cell circulated among the students.

(Prof. B.L. Jain)
Coordinator, Grievance Redressal Cell

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं
यौन उत्पीड़न विरोधी समिति

प्रतिवेदन

दिनांक 4 अप्रैल, 2015 को जैन विश्वभारती संस्थान के यौन उत्पीड़न विरोधी सेल द्वारा महिला सुरक्षा से सम्बन्धित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रातःकाल प्रार्थना सभा के पश्चात् महाप्रज्ञ सभागार में आयोजित हुआ जिसमें एम.ए. पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध के सभी छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना था।

सर्वप्रथम "इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम" के सन्दर्भ में जानकारी दी गयी। इसके अन्तर्गत बताया गया कि भारत के सभी मोबाइल फोन में अब पैनिक बटन होना अनिवार्य होगा। महिलाएं इस बटन को दबाकर तुरन्त मदद मांग सकेंगी।

महिलाएं इस प्रकार पैनिक बटन का प्रयोग कर सकेंगीः–

- पावर बटन को तीन बार दबाकर
- 112 पर फोन करके
- फीचर फोन (कीपैड फोन) पर 5 या 9 अंक के बटन को लम्बे समय दबाएं रखकर।

इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करने पर पुलिस के पास मैसेज जाएगा कि आपको मदद की आवश्यकता है।

इस प्रकार छात्रों के साथ महिला सुरक्षा पर विविध प्रकार से चर्चा–परिचर्चा हुई।

Pushpa

(पुष्पा मिश्रा)
समन्वयक
यौन उत्पीड़न निषेध समिति
जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं
यौन उत्पीड़न विरोधी समिति

प्रतिवेदन

दिनांक 15 मार्च, 2016 को जैन विश्वभारती संस्थान के यौन उत्पीड़न विरोधी सेल के माध्यम से यौन उत्पीड़न के सन्दर्भ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन महाप्रज्ञ सभागार में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यौन उत्पीड़न क्या है, और कैसे बचाव हो सकता है? इसकी जानकारी प्रदान करना था। सेल की समन्वयक डॉ. पुष्पा मिश्रा ने बताया कि किसी भी तरह की यौन गतिविधि जिसमें आपकी सहमति न हो, उसको यौन उत्पीड़न कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से आपकी इच्छा के विरूद्ध की गयी यौन गतिविधि होती है। इसमें आपके साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक सम्पर्क बनाए जाने को शामिल किया जाता है। जैसे बलात्कार, या दबाव में शारीरिक सम्बन्ध, मर्जी के विरूद्ध छूना, अश्लील प्रदर्शन आदि।

इसके बचाव के लिए कानूनी जागरूकता स्वयं के स्तर पर मजबुती एवं परिवार के सदस्यों को सूचना देने से इससे बचाव हो सकता है। इसके लिए एण्टी सेक्सुअल हरासमेन्ट एक्ट 2013 विभिन्न प्रकार से कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

(पुष्पा मिश्रा)
समन्वयक
यौन उत्पीड़न निषेध समिति
जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

दिनांक 05.08.2016 को यौन उत्पीड़न विरोधी सेल द्वारा संस्थान में ''कार्यस्थल नैतिकता एवं महिला सम्मान'' पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। यौन उत्पीड़न विरोधी सेल की सदस्या डॉ. प्रगति भटनागर ने संस्थान के सदस्यों एवं छात्रों को बताया कि यौन उत्पीड़न विरोधी कानून 2013 जो महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले हिंसा की रोकथाम के लिए सहायता प्रदान करता है किन्तु हम सभी संस्थान परिवार के सदस्य होने के नाते एक–दूसरे का सम्मान करें। संस्थान की छात्राओं की सुरक्षा एवं कार्यरत महिलाओं का सम्मान करना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा समाज के सभी नागरिकों को करना चाहिए। जिस समाज में या जिस प्रतिष्ठान में महिलाओं की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित नहीं होती है वह समाज अथवा प्रतिष्ठान की नींव रेत के टीले के समान होती है। वह कभी भी धराशायी हो सकती है। समाज या प्रतिष्ठान में स्थायित्व बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं की गरिमा एवं आत्मसम्मान प्रबन्धन या प्रशासन द्वारा सुनिश्चित हो।

अन्त में डॉ. पुष्पा मिश्रा द्वारा सभी सदस्यों एवं छात्रों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(डॉ. पुष्पा मिश्रा)
समन्वयक
यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

जागरूकता कार्यशाला

यौन उत्पीड़न विरोधी कानून 2013

दिनांक 12.11.2016 को प्रातः 11.00 बजे डॉ. आभा सिंह, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग द्वारा संस्थान के सभी छात्र–छात्राओं को यौन उत्पीड़न विरोधी कानून के सन्दर्भ में जानकारी प्रदान की। उन्होंने उक्त कानून के अन्तर्गत आने वाले सभी मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न अवैध है। यह अधिनियम कार्यालय में अथवा कार्यस्थल पर होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि जनगणना 2011 के आधार पर 14.58 करोड़ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसा अपमानजनक व्यवहार हुआ है। सन 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। यह कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने की एक युक्ति है। ये विशाखा फैसले मे दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना करवाता है। उन्होंने बताया कि यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने उक्त कानून से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. पुष्पा मिश्रा, समन्वयक, यौन उत्पीड़न विरोधी सेल तथा डॉ. प्रगति भटनागर, सदस्य द्वारा किया गया। अन्त में डॉ. प्रगति भटनागर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(डॉ. पुष्पा मिश्रा)
समन्वयक
यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

जागरूकता कार्यक्रम

विशाखा निर्देशिका 2013

दिनांक 04.02.2017 को संस्थान के यौन उत्पीड़न विरोधी सेल द्वारा संस्थान के सदस्यों एवं छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त सन्दर्भ में सेल की समन्वयक डॉ. पुष्पा मिश्रा ने विशाखा निर्देशिका 2013 पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने बताया कि यदि किसी महिला पर शारीरिक सम्पर्क के लिए दबाव डाला जाता है या फिर किसी भी प्रकार की हरकत जिसे महिला डर की अनुभूति करती है

अथवा

यदि किसी भी सहकर्मी, वरिष्ठ या किसी भी स्तर के कार्मिक द्वारा उसे यौन सम्बन्ध बनाने के लिए अनुरोध किया जाता है

अथवा

किसी भी महिला की शारीरिक बनवट उसके वस्त्रों आदि को लेकर भद्दी, अश्लील टिप्पणियां की जाती है तो यह सब कामकाजी महिलाओं के अधिकारों का हनन है।

किसी भी महिला से कामुक साहित्य अथवा मौखिक या अमौखिक तरीके से यौन प्रकृति का अश्लील व्यवहार किया जाता है तो महिला संस्थान में बनी सेल को तत्काल सूचित कर सकती है।

इस विस्तृत व्याख्या के पश्चात् सेल की सदस्या डॉ. प्रगति भटनागर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

(डॉ. पुष्पा मिश्रा)
समन्वयक
यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

जागरूकता कार्यक्रम

विशाखा निर्देशिका 2013

दिनांक 01.08.2017 को यौन उत्पीड़न विरोधी सेल, जैन विश्वभारती संस्थान के माध्यम से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में शांति एवं अहिंसा विभाग के सहायक आचार्य डॉ. रविन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा संस्थान के छात्रों को उद्‌बोधन दिया गया। इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक संस्था को अपने महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न सम्बन्धी घटनाओं के प्रति जागरूक रहते हुए महिलाओं की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। समय–समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, लैंगिक संवेदनशीलता, इमरजेन्सी कान्टेक्ट आदि की जानकारी समय–समय पर दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि कार्यस्थल पर महिला स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है तो इसे चिन्ता, अवसाद, अलगाव, आत्मसम्मान को ठेस एवं शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि महिला कार्यकर्त्ताओं पर अपमानजनक टिप्पणी, लिंग भेदभाव, निजी जीवन के विषय में अफवाहें फैलाना, बलात्कार का प्रयास आदि सब महिला को असुरक्षित बनाती है। अतः इस तरह के वातावरण का होना किसी भी संस्थान के लिए हितकर नहीं है। इसके लिए सभी कर्मचारी, शैक्षणिक सदस्यों को जागरूक रहते हुए महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए।

(डॉ. पुष्पा मिश्रा)
समन्वयक
यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

कार्यशाला

जैन विश्वभारती संस्थान के यौन उत्पीड़न विरोधी सेल द्वारा दिनांक 23.09. 2017 को 11.00 बजे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में योग एवं जीवन विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य डॉ. हेमलता जोशी द्वारा कार्यस्थल पर यौन शोषण से सम्बन्धी कानून, बचाव, शिकायत आदि के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी दी गयी।

उन्होंने बताया कि सन् 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। इच्छा के विरूद्ध छूना या कोशिश करना या महिला का किसी पुरुष के साथ असहज होना यौन सम्बन्ध बनाने की मांग करना, अश्लील बातें करना, अश्लील तस्वीरें दिखाना, यह सब यौन उत्पीड़न के मुद्दे हो सकते हैं। इसमें निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं– लिखित माफी, चेतावनी, प्रमोशन रोकना, परामर्श की व्यवस्था करना अथवा नौकरी से निकाल देना। उन्होंने बताया कि महिलाओं को पुरुषों से भय में रहने के बजाए स्पष्ट होना आवश्यक है। इस प्रकार विस्तृत व्याख्यान के पश्चात् कार्यक्रम का समापन हुआ। सेल की समन्वयक डॉ. पुष्पा मिश्रा ने अन्त में सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

(डॉ. पुष्पा मिश्रा)
समन्वयक
यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

कार्यशाला

जैन विश्वभारती संस्थान के यौन उत्पीड़न विरोधी सेल द्वारा दिनांक 17.02.2018 को "कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण" विषय पर समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर डॉ. बिजेन्द्र प्रधान द्वारा संस्थान के सभी सदस्यों को सम्बोधित किया गया। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को सन्दर्भित करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि संस्थान के सभी सदस्यों को यह जानना बेहद जरूरी है कि इस सन्दर्भ में नीतियां क्या कहती हैं? महिलाओं को सबसे पहला कदम यह उठाना चाहिए कि जिस व्यक्ति से उसे यौन दुर्व्यवहार का संकेत मिल रहा है उसे जाकर यह बताए कि इस मामले में भी चुप नहीं रहेगी। उसके बाद महिला को उसके खिलाफ सभी सबूत जुटाने चाहिए। तीसरे स्तर पर उसके खिलाफ मुकदमा करे। अपने विकल्पों को समझने के लिए वह वकील से सलाह भी ले सकती है। महिला को निन्दकों की बातों पर ध्यान न देते हुए ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसके आत्मसम्मान की रक्षा करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

Pushpa

(डॉ. पुष्पा मिश्रा)
समन्वयक
यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

यौन उत्पीड़न विरोधी सेल

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

एक दिवसीय कार्यशाला : दिनांक–01.04.2019, समय–12.45

विषय– कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

प्रतिवेदन

दिनांक 1.4.2019 को यौन उत्पीड़न विरोधी सेल द्वारा प्रो. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में संस्थान के ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. मंजु नागल, विशाखा संस्थान के प्रतिनिधि, बीकानेर तथा श्रीमती रचना शर्मा, परामर्शदात्री विशाखा संस्थान, जयपुर थी। सर्वप्रथम सेल की समन्वयक डॉ. पुष्पा मिश्रा ने स्वागत वक्तव्य दिया तथा अतिथियों का शाल्यार्पण एवं मोमेन्टो भेंट करके स्वागत किया गया। तत्पश्चात् डॉ. मंजु नागल एवं श्रीमती रचना शर्मा जी द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर वक्तव्य प्रारम्भ किया। यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को सन्दर्भित करते हुए उन्होंने कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ से बचाव में यह कानून कैसे सहयोग कर सकता है। यह कानून महिलाओं को सम्मान से जीने एवं समानता का अधिकार प्रदान करने के साथ ही कार्यस्थल पर पुरुषों द्वारा किये जा रहे यौन शोषण से बचाव के लिए बहुत बड़े हथियार के रूप में सहयोगी है। उन्होंने वीडियो क्लिप के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले यौन उत्पीड़न को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में विशाखा गाइड प्रदान की, विस्तृत व्याख्या की तथा छात्राओं को हर परिस्थिति से सामना करने के लिए जागरूक रहने का सुझाव दिया। अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में प्रो. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी ने सभी छात्रों एवं संस्थान के सदस्यों को बताया कि यौन उत्पीड़न सम्बन्धी किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना हिम्मत के साथ करें न कि डर जाएं। डर जाने एवं चुपचाप

सहने के कारण इस तरह के मुद्दों को पनपने का अवसर मिलता है। प्रश्नोत्तर सत्र में छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रीमती रचना शर्मा ने जी बताया कि यदि किसी महिला द्वारा गलत शिकायत की जाती है और पुरुष निर्दोष पाया जाता है तो महिला के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने समिति गठन की भी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी संगठन के समिति में संस्थान के सदस्यो के अतिरिक्त किसी अन्य निजी या सरकारी संस्था का सदस्य होना अनिवार्य है जिससे पक्षपात की स्थिति उत्पन्न न हो। अन्त में सेल के सदस्य डॉ. प्रगति भटनागर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

छात्रों द्वारा कार्यक्रम को अत्यन्त उपयोगी बताते हुए काफी सराहना की गयी।

21/4/19

(डॉ. पुष्पा मिश्रा)
समन्वयक
यौन उत्पीड़न विरोधी सेल